# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती ( आर0ए0एस0)**

राजस्व प्रकरण संख्या :– 117/2024 दर्ज दिनांक 09.12.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/296

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. भैरूलाल पिता डालचन्द शर्मा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता सोहनलाल लुहार निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवप्रकाश पिता हीरालाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुनिता पत्नि प्रशांत कुमार टांक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

**:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::**

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

:: निर्णय ::

दिनांक:– 26/11/2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 07.10.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के शामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 887 मे आराजी संख्या 3878 रकबा 0.13 है0 भूमि में वादी का 7/10 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1401 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | भैरूलाल पुत्र डालचन्द शर्मा सा.देह खातेदार | ग्राम बोराणा (खाता संख्या 887) | 3878/1 | 0.0910 |
| | | **योग** | **1** | **0.0910** |
| 2 | 1. शंकरलाल पुत्र सोहनलाल 2/390 लुहार सा.देह खातेदार<br>2. शिवप्रकाश पुत्र हीरालाल 288/390 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार<br>3. सुनीता पत्नि प्रशान्त टांक 100/390 टांक सा.देह खातेदार | ग्राम बोराणा (खाता संख्या 887) | 3878/2 | 0.0390 |
| | | **योग** | **1** | **0.0390** |

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद में डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)**

राजस्व प्रकरण संख्या :– 117/2024 दर्ज दिनांक 09.12.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/296

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. भैरूलाल पिता डालचन्द शर्मा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता सोहनलाल लुहार निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवप्रकाश पिता हीरालाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुनिता पत्नि प्रशांत कुमार टांक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

### वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 26/11/2025

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा (हे0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | भैरूलाल पुत्र डालचन्द शर्मा सा.देह खातेदार | ग्राम बोराणा (खाता संख्या 887) | 3878/1 | 0.0910 |
| | | योग | 1 | 0.0910 |
| 2 | 1. शंकरलाल पुत्र सोहनलाल 2/390 लुहार सा.देह खातेदार<br>2. शिवप्रकाश पुत्र हीरालाल 288/390 | ग्राम बोराणा (खाता संख्या 887) | 3878/2 | 0.0390 |

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी) 

सहायक कलक्टर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ब्राहम्ण सा.देह खातेदार<br>3. सुनीता पत्नि प्रशान्त टांक 100/390 टांक सा.देह खातेदार | | | |
| | | योग | 1 | 0.0390 |

नीज ..............Nil................................मुबलिग ..................... Nil ....................................बाबत् ........ Nil ...... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .......................... Nil ......................फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ................ Nil ..........................................का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/11/25 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर

| मुद | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदया | – | | स्टाम्प अरजीदया | – | |
| स्टाम्प वकीलात नामा | – | | स्टाम्प वकीलात नामा | – | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | | स्टाम्प वजह सबूत | – | |
| महनताना वकील ( ) | – | | महनताना वकील ( ) | – | |
| खर्चा गवाह | – | | खर्चा गवाह | – | |
| फीस कमीश्नर | – | | फीस कमीश्नर | – | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | – | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | – | |
| मुनफरिक | – | | मुनफरिक | – | |
| मीजान | | | मीजान | | |

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर